

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर छग0
FAX (O) – 07774-220070, PHONE (O)- 07774-220070

क्रमांक/क्रय/संस.अधी./शाचिम/2020 / 4453

अम्बिकापुर, दिनांक 28.10.2020

1. दवाई एवं चिकित्सा सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण निविदा 2020-21


निविदा कार्य का नाम	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर हेतु वर्ष 2020-21 में 1.दवाईयां एवं चिकित्सा सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण प्रदाय किये जाने हेतु अलग अलग सीलबन्द लिफाफे मे खुली निविदा आमंत्रित किया जाता है। 1.दवाईयां एवं चिकित्सा सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण हेतु अलग अलग निविदा प्रपत्र जमा किया जाना है।
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु 1000.00 (एक हजार मात्र) का Demand Draft वापसी योग्य नहीं।
धरोहर राशि Bank draft/Banker's Cheque	1. दवाईयां एवं चिकित्सा सामग्री के लिये 3,00,000 रुपये 2. चिकित्सा उपकरण के लिये 1,00,000 रुपये।
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 04/12/2020 को 3.00 PM तक। शासकीय पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से।
निविदा खोलने की तिथि एवं स्थान	दिनांक 04/12/2020 को 4.00 PM कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

निविदा शर्तें
निविदा शर्तों का सही अध्ययन कर ही पूर्ति करें

- 1- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) हेतु 1. दवाईयां एवं चिकित्सा सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण क्रय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुरूप में खुली निविदा आमंत्रित की जाती है जिस हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार है।
- 2- निविदा में केवल –
 - 01 मेडिसिन हेतु निर्माता कंपनियां जिनका वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 50 करोड़ वार्षिक तथा निर्माता कंपनी के अधिकृत विक्रेता जिनका वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 75 लाख का हो भाग ले सकते है।
 - 02 सर्जिकल/कंज्युमेबल सामग्री हेतु निर्माता कंपनी का वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 25 करोड़, तथा निर्माता कंपनी के अधिकृत विक्रेता जिनका वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 25 लाख का हो भाग ले सकते है।



- 3- निविदा प्रपत्र का मूल्य :-निविदादाता के स्वयं के लेटर पैड में आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा राशि 1000/(एक हजार रुपये) जो की वापसी योग्य नहीं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से Demand Draft (डी.डी) संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (Joint Director Cum Suprintentenedent, Govt.Mdical College Hospital, Ambikapur) के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र कार्यालय के संबंधित शाखा से प्राप्त किया जा सकेगा।
- 4- निविदा प्रपत्र केवल शासकीय डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगी।
- 5- निविदा में छ0ग0 भण्डार एवं क्रय नियम 2002 का तथा समय-समय पर उक्त नियम में होने वाले संशोधनों का पालन किया जावेगा।
- 6- निविदा में शासन के नियमानुसार जेनरिक दवाईयों को ही प्राथमिकता दी जावेगी।
- 7- निविदा की अवधि न्युनतम दर अनुमोदन सत्र 2021-22 की अगली निविदा होने तक के लिए मान्य रहेगी।
- 8- निविदादाता द्वारा निविदा के संबंध में रखी गई कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 9- किसी भी विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक अम्बिकापुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 10- विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र अम्बिकापुर (छ.ग.) होगा।
- 11- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय प्रबंधन बिना किसी कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 12- चिकित्सा अधीक्षक/क्रय समिति, निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कि गई दस्तावेजों का मिलान मूलप्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 13- निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा एवं अनुपस्थित होने पर वह स्वयंम जिम्मेदार होगा।
- 14- निविदादाता अथवा निविदादाता के प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने पर भी निविदा निर्धारित तिथि व समय पर खोली जावेगी।
- 15- निविदा खोले जाने के समय निविदादाता को पृथक से आमंत्रित नहीं किया जावेगा।
- 16- निविदादाता को प्राईज बिड खोले जाने हेतु पृथक रूप से आमंत्रित नहीं किया जायेगा।
- 17- चिकित्सालय प्रबंधन किसी भी समय प्रस्तुत किये गये सामाग्री का नमूना मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस हेतु निविदादाता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 18- निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा निविदा वैधता तिथी तक जमा रखी जावेगी जो कि संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के पक्ष में देय होगा।
- 19- चिकित्सालय प्रबंधन 1.दवाईयों एवं चिकित्सा सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण की निरंतरता को बनाये रखने हेतु क्रय आदेश को एक से अधिक भागों में विभक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।



20- प्रदाय कि जाने वाली चिकित्सा उपकरण व दवाईयों एवं चिकित्सा सामग्री का अवसान तिथि न्युनतम 2 वर्ष होना अनिवार्य होगा, यह दवाईयो के निर्मित दिनांक के आधार पर होगा ।

21- निविदादाता द्वारा जमा किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति स्व-प्रमाणित होना अनिवार्य है।

22- निविदादाता को निविदा खोलने के उपरान्त किसी भी प्रकार के मुद्रलेखन, त्रुटी सुधार हेतु अवसर नहीं दिया जावेगा।

23- क्रय समिति को निविदा शर्तों में आवश्यकता अनुसार एवं संस्थान हित में सशोधन / शिथिलीकरण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24- भुगतान संबंधी प्रावधान:-

01 निविदादाता को क्रयादेशों के विरुद्ध भुगतान समय-समय पर शासन द्वारा प्राप्त बजट आबंटन तथा शासन के निर्देशानुसार भुगतान किया जायेगा ।

02 पर्याप्त बजट न होने की स्थिति में भुगतान में विलंब की संभावना हो सकती है, ऐसी स्थिति में सफल निविदादाता जिसे क्रयादेश जारी किया गया हो दवाईयों अथवा चिकित्सा सामग्री की प्रदायगी निरंतर जारी रखना होगा।

03 पर्याप्त बजट आबंटन उपलब्ध होने की स्थिति में ही भुगतान किया जावेगा।

04 समय पर भुगतान न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।




05 निविदादाता को क्रय आदेश के विरुद्ध केवल एक बार ही भुगतान देयक प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। पूर्ण सामग्री प्रदाय किये बगैर यदि भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किया जाता है तो यह माना जावेगा की निविदादाता शेष सामग्री प्रदाय करने में असमर्थ है। तथा एल 2 दर से शेष सामग्रीयों के क्रय हेतु प्रक्रिया की जावेगी तथा भविष्य में उस सामग्री के लिये एल 1 दर दाता को क्रय आदेश नहीं दिया जावेगा तथा एल 1, एल 2 के अंतर की राशि एल वन दर दाता से नियमानुसार वसूल की जावेगा ।

06 यदि प्रदाय की गई सामग्री की अवसान तिथि 2 वर्ष से कम हुई तो प्रदाय कि गई सामग्री हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा दवाईयों के अवसान तिथि के आधार पर उनके भुगतान संबंधी निर्णय लिया जावेगा यदि अवसान तिथि कम होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता तथा क्रय समिति के निर्देशानुसार प्रदायकर्ता फर्म को स्वयं के व्यय पर सामग्री वापस ले जाकर बदल कर न्युनतम दो वर्ष की अवसान तिथि वाली सामग्री प्रदाय करना होगा ।

07 प्रदाय आदेश के विरुद्ध कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

08 निविदादाता को भुगतान देयक प्रदायगी चालान के साथ प्रस्तुत करना तथा भुगतान देयक तीन मूल प्रतियों में क्रयादेश की छाया प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

09 निविदादाता द्वारा प्रदाय की जाने वाली 1.दवाईयों चिकित्सा सामग्री एवं 2. चिकित्सा उपकरण के गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (Quality Control Report) प्रदाय की जाने वाली प्रत्येक बैच की दवाईयों एवं चिकित्सा सामग्री के साथ प्रेषित करना अनिवार्य होगा। बिना गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (Quality Control Report) के भुगतान नहीं किया जावेगा।

Prin *3/10/20* *meow*   

25- निविदा में निहित सामाग्री के प्रदायगी के संबंध में :-

- 01 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर जिन्हे स्वीकृत तथा न्यूनतम दर अंकित किया गया हो की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में अग्रिम रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा ।
- 02 निविदादाता को क्रय आदेश के जावक तिथि से अधिकतम 21 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा
- 03 प्रकृतिक आपदा/महामारी/आपातकालीन स्थिति में यदि किसी दवाई चिकित्सा सामग्री या चिकित्सा उपकरण की कमी होती है एवं क्रय आदेश जारी किये जाने हेतु शासकीय प्रक्रिया में विलंब होने कि स्थिति में दूरभाष/मोबाईल के माध्यम से सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर चाही गई सामाग्री की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा, अधिकतम 07 दिवस के भीतर। जिसके लिए स्टोर प्रभारी व चिकित्सा अधीक्षक अधिकृत होंगे।
- 04 प्रदाय की जाने वाली सामाग्री शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय के औषधी भण्डार शाखा में डोर डिलवरी (F.O.R.) होगी जिस हेतु किसी भी प्रकार का भाडा अथवा भत्ता अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगा।

26- पैनल्टी

- 01 समय पर सामाग्री प्रदाय न कर पाने की स्थिति में चिकित्सालय प्रबंधन को लिखित में सूचित करना अनिवार्य होगा जिससे मान्य होने पर प्रदायगी अवधि में केवल एक बार वृद्धि की जा सकेगी जिसके लिये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर स्वविवेक से निर्णय ले सकेगा। लिखित में सूचित न करने की स्थिति में तथा सामाग्री समय पर प्रदाय न कर पाने की स्थिति में क्रयादेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं द्वितीय न्यूनतम दर दाता (L2) दर से सामाग्री क्रय की जावेगी तथा पुनः (L1) दर दाता को उस सामाग्री हेतु क्रयादेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का नोटिस एल-1 फर्म को नहीं दिया जायेगा। प्रथम न्यूनतम दर (L1) तथा द्वितीय न्यूनतम दर (L2) के अंतर की राशि प्रथम न्यूनतम दरदाता के द्वारा जमा की गयी अमानत राशि से कटौती की जावेगी तथा सामाग्री प्रदाय न कर पाने वाले प्रतिष्ठान /फर्म को अयोग्य मानते हुये आगामी 3 वर्ष तक किसी भी निविदा में उनकी भागीदारी अमान्य कर दी जावेगी।
- 02 यदि (L1) तथा (L2) के अंतर के राशि का अंतर अमानत राशि से अधिक होने की स्थिति में निविदादाता को नगद अथवा चेक के माध्यम से शेष अंतर की राशि जमा करना होगा । इस स्थिति हेतु निविदादाता को 3 हस्ताक्षरित चेक जो कि बिना रकम व बिना दिनांक का हो एकाउंट पे (Account Payee) संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के नाम पर देय हो निविदा के साथ जमा कराना होगा।
- 03 यदि निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई सामाग्रीयों के प्रदायगी संबंधी कंपनियों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य कंपनी की सामाग्रीयां प्रदाय करता है तो उक्त निविदादाता की समस्त अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एवं भविष्य में आगामी

Min- 





तीन वर्ष के लिये चिकित्सालय के निविदाओं में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

27- निविदा प्रपत्र भरने का तरीका :-


निविदा प्रपत्र तीन मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें:-

- A. बड़ा मुख्या लिफाफा जिसमें मेडिसिन निविदा क्रमांक.....दिनांक.....तथा निविदाकर्ता का नाम व पूर्ण पता लिखा होना अनिवार्य होगा।
- B. द्वितीय लिफाफा जिसमें टेक्नीकल बिड लिफाफा निविदा क्रमांक.....दिनांक.....तथा निविदाकर्ता का नाम व पूर्ण पता लिखा होना अनिवार्य होगा।
- C. तृतीय लिफाफा जिसमें प्राईस बिड लिफाफा, निविदा क्रमांक.....दिनांक.....तथा निविदाकर्ता का नाम व पूर्ण पता लिखा होना अनिवार्य होगा।
- D. द्वितीय एवं तृतीय लिफाफा मुख्य लिफाफे को मोहर बंद कर मुख्य लिफाफे में डालकर मुहरबंद करना अनिवार्य होगा व स्टेपलर किया हुआ लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निविदादाता की निविदा में दावेदारी अमान्य कर दी जावेगी।

A. लिफाफा क्र 02 (टेक्निकल बिड) निविदाकार को निम्न प्रमाण-पत्र की स्पष्ट छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदाकार का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा (प्रारूप क 1 के अनुसार)

01. निविदादाता को स्वयं के लेटर हेड में स्वयं का पूरा नाम, पिता का नाम व्यवसायिक संस्थान का नाम, संस्थान का पूर्ण पता, टेलीफोन नंबर, मोबाईल नंबर, फैक्स नंबर ई-मेल आई.डी. जिसमें समस्त कय आदेश को प्रेषित किया जा सके हस्ताक्षर कर प्रमाणित करते हुये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 1. दवाई चिकित्सा सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण।
02. निविदादाता को निविदा हेतु अमानत राशि 3,00,000.00 (तीन लाख रुपये) रुपये क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफडी0आर0(FDR) जो कि संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (Joint Director Cum Superintendent Govt. Medical College Hospital Ambikapur) के पक्ष में देय हो जमा करना अनिवार्य होगा।
03. निविदादाता को अपने फर्म/प्रतिष्ठान जिसके नाम से निविदा प्रपत्र भरा जा रहा है के स्थापना संबंधी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र/गुमास्ता जमा करना अनिवार्य होगा।
04. निविदादाता को प्रदाय की जाने वाली दवाइयों के निर्माता कंपनी का जीवित लाइसेंस जिसमें दवाइयों एवं चिकित्सा सामग्रीयां, चिकित्सा उपकरण के निर्माण, भण्डारण, बिक्री, वितरण से संबंधित अनुमति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
05. निविदादाता का वर्तमान में जी.एस.टी. जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे:- जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंतिम जी.एस.टी. समाशोधनप्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
06. निविदादाता को विगत 3 वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

5



07. निविदाकार को विगत 3 वर्ष का टर्न ओवर वित्तीय वर्ष (2017-18, 2018-19 व 2019-20) का वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र जो की सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो जमा करना अनिवार्य होगा।
1. दवाई हेतु निर्माता कंपनियां का वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 50 करोड़ वार्षिक तथा निर्माता कंपनी के अधिकृत विक्रेता जिनका वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 75 लाख का होना अनिवार्य है।
 2. चिकित्सा सामग्री हेतु निर्माता कंपनी का वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 25 करोड़, तथा निर्माता कंपनी के अधिकृत विक्रेता जिनका वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 25 लाख का होना अनिवार्य है।
 3. चिकित्सा उपकरण हेतु निर्माता कंपनी का वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 25 करोड़, तथा निर्माता कंपनी के अधिकृत विक्रेता जिनका वार्षिक (वर्ष 2019-20) टर्न ओवर 25 लाख का होना अनिवार्य है।
08. निविदादाता को दवा लाईसेंस का जीवित प्रमाण पत्र की स्वप्राणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
09. निविदादाता को पेन कार्ड की स्वप्राणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
10. चिकित्सा सामग्री (काटन एवं गाज बैंडेज क्लार्थ) हेतु पूर्व वर्ष 2019-20 में 25 लाख रू. वार्षिक विक्रय (Turn Over) का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है।)
11. निविदादाता को 3 हस्ताक्षरित चेक जमा करना होगा एवं चेक उसी खाते का होना अनिवार्य होगा जिसमें फर्म को भुगतान किया जावेगा। जो कि बिना रकम एवं बिना दिनांक का एकाउन्ट पे (Account payee) संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के नाम पर देय हो। जिससे एल-2 दर से क्रय की स्थिति में उक्त चेक के माध्यम से एल-2 तथा एल-1 के अंतर की राशि वसूल की जा सके।
12. छ.ग. राज्य की लघु उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है। प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा तभी उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने में छुट रहेगी।
13. निविदादाता को 50.00 के गैर न्यायिक मुदांक पर स्टांप पेपर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
1. निविदादाता अथवा निर्माता कंपनी को पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन, केन्द्र शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा कालीसूची में नहीं रखा गया है।
 2. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर अनंतिम है एवं इस दर से कम रेट पर किसी अन्य संस्था को यह सामग्री प्रदाय नहीं किया गया है।
 3. निविदा शर्तों में निहित कंडिका क्र 01 से 32 तक के सभी शर्तों का अक्षरसः पालन कारुणा।
 4. अनुभव प्रमाण पत्र बेहतर प्रदायगी का।

B.Price Bid (प्राइस बिड):-

1. टेक्निकल बिड में जमा किये समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेज के मिलान उपरांत सही एवं निविदा शर्तों के अनुरूप पाये जाने पर ही प्राइज बिड खोला जावेगा।

Price

[Signature]

6

[Signature]

2. निविदादाता को प्राईज बिड प्रारूप क्रमांक 02 के अनुसार ही स्वच्छ रूप से टंकित कराकर दर जमा करना अनिवार्य होगा। हस्त लिखित प्राईज बीड स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. निविदादाता को प्राईज बीड में दर प्रति नग / **per vial / per Ampule/Per unit /Per bottle/Per cap./Per Tab./etc.** का दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ किस कंपनी का सामग्री प्रदाय किया जावेगा का पृथक कालम में निर्धारित प्रारूप में उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया गया दर अधिकतम **खुदरा** मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शासकीय प्रतिबंधित दर (**DPCO**) के अनुरूप प्रस्तावित दरों में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यह स्व-विवेकी अधिकार निविदादाता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उपयोग किया जावेगा।
6. निविदादाता द्वारा प्रदाय की जाने वाली 1. दवाईयों एवं सर्जिकल सामग्री 2. चिकित्सा उपकरण के अधिकृत विक्रेता / डिस्ट्रीब्यूटर होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकार द्वारा भरे जाने वाले दवाईयों चिकित्सा सामग्री व चिकित्सा उपकरण का दर दिये गये प्रारूप अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंध अवधि के दौरान यदि, शासकीय आदेश अथवा निविदाकर्ता/निर्माता ईकाई के द्वारा निविदित मद आइटम की दरे कम होती है तो निविदादाता यह दर सूचित करने तथा इस कम दर पर मद आइटम की पूर्ति करने के लिये वैधानिक रूप से बाध्य होगा तथा यह दर सूचना प्रसारित दिनांक से प्रभावी होगी निविदादाता द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर छ.ग. स्वयं इस विषय में निर्णय लेने के लिये अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी होने की दशा में निविदादाता बिना अनुबंधित दरों में संशोधन किये, अतिरिक्त व्यय को एक अलग देयक के रूप में संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी के लिखित सहमति के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।
9. यदि कोई सामग्री किसी कंपनी के एकल स्वामित्व (**Proprietary certificate**) रखता है तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता द्वारा प्राईज बिड में अंकित किये गये कर में निविदा खोलने उपरान्त अथवा निविदा की प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में संशोधन करने हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः प्रस्तुत किये जाने वाले दर में करों का समावेश सावधानी पूर्वक करे।
11. किसी एक दवाई एवं चिकित्सा सामग्री व चिकित्सा उपकरण हेतु प्रदाय किये गये दर के साथ-साथ एक निर्माता कम्पनी प्रदाय करना है एवं उसी निर्माता कम्पनी का दवाई चिकित्सा सामग्री एवं चिकित्सा उपकरण प्रदाय करना होगा। एक से अधिक निर्माता कम्पनी देने पर आपके द्वारा दिये गये दर को अमान्य कर दिया जायेगा।

28- कम से कम 100 बेड युक्त शासकीय चिकित्सालय का कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले को प्रथमिकता दी जायेगी।

Brin

Form

7

7

7

29- यदि कोई सामग्री किसी कंपनी के एकल स्वामित्व के चलते सिर्फ एक ही रेट उपलब्ध होने की स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा विशेष तकनीकी समिति से स्वीकृति प्राप्त कर क्रय किया जा सकेगा।

30- **गुणवत्ता(Quality Control)**

1. दवाईयों हेतु प्रदाय की जाने वाली निर्माता कंपनी का GMP/FDA CERTIFICATE प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. चिकित्सा सामग्री (Surgical & Consumable) हेतु निर्माता कंपनी का ISI /GMP/FDA/CE/DCGI/ISO प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को प्रदाय की जाने वाली दवाईयों के गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (Quality Control Report) प्रदाय की जाने वाली प्रत्येक बैच की दवाईयों के साथ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
4. जो दवाईया निविदा अनुरूप नहीं पायी जावेगी उन्हें 07 दिवस के भीतर बदलकर देना अनिवार्य होगा। जिस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा। अमानक दवाईयां बदलकर प्रदाय नहीं की जाने की स्थिति में प्रदाय की गई सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकती है।
5. चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा गुणवत्ता परिक्षण हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं निविदादाता को स्वयं के व्यय पर गुणवत्ता परिक्षण कराकर प्रमाण पत्र संस्थान को प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
6. यदि प्रदाय की गई सामग्री में टुट फूट पायी जाती है तो संबंधित फर्म को टुट फूट होने वाली सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा।

29-न्यूनतम दर का निर्धारण:-

1. टेक्निकल बिड में सफल निविदाकार का ही प्राईज बिड दर खोला जायेगा।
2. प्रथम न्यूनतम दर/एल-1 द्वितीय न्यूनतम दर एल-2 तृतीय न्यूनतम दर एल-3 का निर्धारण निविदादाता द्वारा जमा किये गये दरों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त किया जावेगा।
3. यदि किसी सामग्री की परफार्मेन्स वांछित मापदाण्डों के अनुरूप नहीं है अथवा गुणवत्ता सही नहीं होने की स्थिति पर न्यूनतम दर होने की स्थिति में उस सामग्री का प्रस्तुत दर अमान्य कर दिया जावेगा। तथा द्वितीय अथवा सही गुणवत्ता वाले सामग्री के प्रस्तुत दर को प्रथम न्यूनतम दर मानते हुए तुलनात्मक प्रपत्र तैयार किया जावेगा।
4. न्यूनतम दर के निर्धारण संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक/क्रय समिति शासकीय चिकित्सालय अम्बिकापुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. एल-1 दर का निर्धारण मूल दर से किया जायेगा।
6. प्राईज बीड में सफल हुए निविदादाताओं को दर तुलनात्मक के अनुमोदन दिनांक से 07 दिवस के भीतर 50 रु. के गैर न्यायालिक मुद्रान्क पर प्रारूप क्रमांक 03 के अनुसार ईकरारनामा प्रस्तुत करना होगा निर्धारित समय अवधि में ईकरारनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाकार की निविदा में भागीदारी निरस्त कर दिया जावेगा एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दर पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
7. ईकरारनामा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय दर दाता द्वारा प्रस्तुत दर पर विचार किया जावेगा।

Signature

Signature 8

Signature


Signature

Signature

8. किसी भी दवाई व चिकित्सा सामग्री का केवल एक ही दर प्राप्त होने की स्थिति में LPR (Last purchase Rate) शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा प्राप्त क्रय आदेश की प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा। एकल दर प्राप्त होने पर फर्मों से दर निगोशियेशन किया जावेगा।

30-विशेष शर्त:-

1. अधिक तापमान से खराब होने वाली दवाइयों को शीत श्रृंखला में शीघ्र प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
2. समस्त दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है।


संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शास.चिकि.महा.सम्बद्ध चिकित्सालय
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा छ.ग.








प्रारूप क्र0 01

**कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर**

नियम व शर्तें / दस्तावेजों के लिए जाँच सूची
(निविदादाता द्वारा भरा जावे और तकनीकी बोली लिफाफा में तकनीकी बोली
दस्तावेजों के साथ संलग्न करें)

क्रमांक	दस्तावेज	विवरण	हाँ/नहीं	पेज नं.
1	2	3	4	5
1	निविदादाता का नाम			
	फर्म का नाम			
	फर्म का पता			
	मोबाईल नंबर			
	ई.मेल आई. डी			
2	अमानत राशि 3,00,000.00 (Bank Draft/ FDR) दवाई व चिकित्सा सामग्री के लिये – 3,00,000.00 एवं चिकित्सा उपकरण के लिये – 1,00,000.00			
3	वैद्य प्रतिष्ठान स्थापना प्रमाण पत्र/गुमास्ता			
4	प्रदाय की जाने वाली दवाइयों/चिकित्सा सामग्री के निर्माता कंपनियों का जीवित लाइसेंस तथा भण्डार, बिक्री, निर्माण, वितरण संबंधी अनुमति प्रमाण पत्र			
5	GST Registration Certificate एवं GST समाशोधन प्रमाण पत्र			
6	Income Tax Return Certificate of year Last Three Years			
7	संस्थागत 3 वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण पत्र (FY 2017-18, 2018-19, 2019-20)			
8	दवा लाइसेंस की (Drug Licence) जीवित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति			
9	निविदादाता के पेन कार्ड की छायाप्रति			
10	चिकित्सा सामग्री (काटन एवं गाज बैंडेज क्लथ) के लिए निर्माता कंपनी के अधीकृत विक्रेता हेतु वर्ष 2019-20 में टर्न ओवर सर्टिफिकेट न्यूनतम 25 लाख रुपये			

11	संयुक्त संचालाक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर के पक्ष में तीन हस्ताक्षरित चेक बिना रकम व दिनांक के	Cheque NO. 01..... 02..... 03.....		
12	लघु उद्योग ईकाइ पंजियन एवं सक्षमता प्रमाण पत्र			
13	100 रु के स्टॉप पेपर पर समथ पत्र:- कालीसुची, अनंतिम दर, अक्षरसः पालन			
14	राज्य अथवा केन्द्र शासन में ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इस आशय का 50.00 रु. के गैर न्यायायिक मुद्रांक पर शपथ पत्र			
14	अधिकृत विक्रेता/डिस्ट्रीब्यूटर होने संबंधि मूल प्रमाण पत्र			
15	एकल स्वामित्व प्रमाण पत्र (Proprietary certificate)			
16	100 बेडेड चिकित्सालय का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो)			
17	दवाईयों हेतु GMP/FDA			
18	सर्जिकल एवं कंज्यूमेबल हेतु ISI/GMP/FDA/CE/ ISO/DCGI/WHO/GMP			
19	Turn Over (For Manufacturer)	For Medicine..... For surgical..... For Gauge..... Bandage..... Equipment -----		
20	Turn Over (For Distributor/Dealer)	For Medicin..... For surgical..... For Gauge..... Bandage..... Equipment -----		

स्थान:-

दिनांक:

निविदादाता का हस्ताक्षर


निविदादाता का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.







(प्रारूप क्रमांक 2)
(स्वयं के लेटर हेड पर प्रस्तुत करें।)

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध
चिकित्सालय अम्बिकापुर छ.ग.

विशय:- कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध
चिकित्सालय अम्बिकापुर के निविदा क्रमांक दिनांक हेतु दर प्रस्तुत
करने बाबत।

—00—

दिनांक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के
संदर्भ में मैं/हम फर्म का नाम
द्वारा निविदा क्रमांक दिनांक हेतु निविदा नियम एवं शर्तों के
अनुरूप वर्ष 2020-21 में दवाईयां एवं सर्जिकल सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु निम्नानुसार दर प्रस्तुत
करता है/करते है।

S.No.	Name of Item Drug	Manufa cturer	Authorizaion	Unit/ Size	Basic rate (With out GST)	GST %	GST Amount	Total Basic+GST Rate
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

स्थान:-

दिनांक:





निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....







(प्रारूप क्रमांक 3)
(100.00 रु. के गैर न्यायिक मुद्रांक पर भापथ पत्र प्रस्तुत करे)

ईकरारनामा

मैं/हम फर्म का नाम.....

निम्नानुसार कथन करते हैं कि:

01. मेरे /हमारे फर्म का जीवित जी.एस.टी. क्रमांक..... है
02. मेरे द्वारा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के निविदा क्रमांक दिनांक..... में निहित समस्त भार्ता (कंडिका क्रमांक 01 से 30 तक) समस्त शर्तें मुझे अक्षर : मान्य हैं तथा निविदा शर्तों के अनुरूप ही पूरे वर्ष मेरे द्वारा प्रस्तुत दर पर ही सामग्री प्रदाय करूंगा/करेंगे।

दिनांक

स्थान.....

गवाह

01. नाम..... हस्ताक्षर.....

02. नाम..... हस्ताक्षर.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....


पता.....

मोबाईल नंबर.....











कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर छ0ग0
दस्तावेजों के लिए जाँच सूची

क्रमांक	दस्तावेज	विवरण	हाँ/नहीं	पेज नं.
1	2	3	4	5
1	निविदादाता का नाम			
	फर्म का नाम			
	फर्म का पता			
	मोबाईल नंबर			
	ई.मेल आई. डी			
2	अमानत राशि 5,00,000.00 (Bank Draft/Banker Cheque)			
3	वैद्य प्रतिष्ठान स्थापना प्रमाण पत्र/गुमास्ता			
4	प्रदाय की जाने वाली दवाईयों/चिकित्सा सामग्री के निर्माता कंपनियों का जीवित लाईसेंस तथा भण्डार, बिक्री, निर्माण, वितरण संबंधी अनुमति प्रमाण पत्र			
5	GST Registration Certificate एवं GST समाशोधन प्रमाण पत्र			
6	Income Tax Return Certificate of year Last Three Years			
7	संस्थागत 3 वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण पत्र (FY 2017-18, 2018-19, 2019-20)			
8	दवा लाईसेंस की (Drug Licence) जीवित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति			
9	निविदादाता के पेन कार्ड की छायाप्रति			
10	चिकित्सा सामग्री (काटन एवं गाज बैंडेज क्लाय) के लिए निर्माता कंपनी के अधीकृत विक्रेता हेतु वर्ष 2019-20 में टर्न ओवर सर्टिफिकेट न्यूनतम 25 लाख रुपये			
11	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के पक्ष में तीन हस्ताक्षरित चेक बिना रकम व दिनांक के	Cheque NO. 01..... 02..... 03.....		
12	लघु उद्योग ईकाइ पंजियन एवं सक्षमता प्रमाण पत्र			











13	50 रु के स्टॉप पेपर पर समथ पत्र:- कालीसूची , अनंतिम दर, अक्षरसः पालन			
14	राज्य अथवा केन्द्र शासन में ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इस आशय का 50.00 रु. के गैर न्यायायिक मुद्रांक पर शपथ पत्र			
14	अधिकृत विक्रेता/डिस्ट्रीब्यूटर होने संबंधि मूल प्रमाण पत्र			
15	एकल स्वामित्व प्रमाण पत्र (Proprietary certificate)			
16	100 बेडेड चिकित्सालय का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो)			
17	दवाईयों हेतु GMP/FDA			
18	सर्जिकल एवं कंज्यूमेबल हेतु ISI/GMP/FDA/CE/ ISO/DCGI/WHO/GMP			
19	Turn Over (For Manufacturer)	For Medicine..... For surgical..... For Gauge..... Bandage..... Equipmet -----		
20	Turn Over (For Distributor/Dealer)	For Medicin..... For surgical..... For Gauge..... Bandage..... Equipment -----		

स्थान:-

दिनांक: